संख्या - 11013/2/2004 - स्थापना (क)

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक फरवरी 16 , 2004

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- निर्णय लेने में विलम्ब के संबंध में जवाबदेही ।

संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करते हुए पद्धतियों और प्रक्रियाओं में विशिष्ट रद्दोबदल किए जाने तथा प्रवृतियों में बदलाव लाने हेतु युक्तियाँ सुझाए जाने की दृष्टि से, मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधारों के बारे में आंतरिक दल गठित किया गया है । इस आंतरिक दल ने यह निर्णय लिया है कि जवाबदेही क्रियाविधि के बारे में मौजूदा प्रावधानों को, प्रत्येक व्यक्ति के ध्यान में यह बात लाए जाने की दृष्टि से दोहराया जाना चाहिए कि किसी अधिकारी द्वारा टाल-मटोल का रवैया अपनाए जाने की स्थिति में जिससे निर्णय लेने में विलम्ब हो और/अथवा जनता को परेशानी हो-अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करने हेतु ये प्रावधान पर्याप्त हैं ।

2. उपर्युक्त के मद्देनज़र, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के निम्नलिखित प्रावधान, सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी मंत्रालयों/विभागों के ध्यान में लाए जाते हैं:-

नियम 3. सामान्य

(1) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी हर समय -

(i) पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ रहेगा,

(ii) कर्त्तव्यपरायण रहेगा, और

(iii) ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो ।

(2) (i) पर्यवेक्षक पद पर कार्य करने वाला प्रत्येक सरकारी कर्मचारी तत्समय अपने नियंत्रण और प्राधिकार के अधीन सभी सरकारी कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा और कर्त्तव्यपरायणता सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय करेगा;

(ii) कोई भी सरकारी कर्मचारी, अपने सरकारी कर्त्तव्यों के पालन में या उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से कार्य करेगा, सिवाय उस स्थिति के जब वह अपने वरिष्ठ पदाधिकारी के निदेशाधीन कार्य कर रहा हो;

**** **** ****

स्पष्टीकरण ।:-कोई सरकारी कर्मचारी, उसे सौंपे गए काम-काज का, प्रत्याशित निष्पादन-गुणवत्ता सहित, इस प्रयोजन से नियत समय में, निष्पादन कर पाने में असमर्थ रहने पर, उप नियम (1) के खंड (ii) के अभिप्राय के भीतर कर्त्तव्यनिष्ठा-रहित माना जाएगा ।

स्पष्टीकरण ।।:-उप नियम (2) के खंड (ii) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लिया जाएगा कि उससे सरकारी कर्मचारी को यह अधिकार मिल जाता है कि जिस स्थिति में शक्तियों और उत्तरदायित्वों के विभाजन की योजना के अधीन ऐसे अनुदेश आवश्यक नहीं हैं, उस स्थिति में वह वरिष्ठ पदाधिकारी या प्राधिकारी से ऐसे अनुदेश या अनुमोदन माँगकर अपने उत्तरदायित्वों से बचे ।

नियम 3क. तत्परता और शिष्टाचार

कोई भी सरकारी कर्मचारी

(क) अपने सरकारी काम-काज के निष्पादन में अशिष्टता-पूर्ण ढंग से कार्य नहीं करे;

(ख) जनता के साथ अपने सरकारी संव्यवहार में अथवा अन्यथा टाल-मटोल के हथकंडे नहीं अपनाए अथवा उसे सौंपे गए काम-काज के निबटान में जान-बूझ कर विलम्ब नहीं करे ।

3. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 11 में यह प्रावधान है कि उसमें उल्लिखित "निंदा" से लेकर "बर्खास्तगी" तक की शास्तियाँ, किसी सरकारी कर्मचारी पर 'वाजिब और पर्याप्त कारणों' से लगाई जा सकती हैं । इस तरह आचरण नियमों का उल्लंघन करने पर किसी सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है क्योंकि इससे शास्तियाँ लगाए जाने हेतु नियम 11 में निर्धारित "वाजिब और पर्याप्त कारण" बनेंगे । अन्य शब्दों में, किसी अधिकारी द्वारा टाल-मटोल का रवैया अपनाए जाने की स्थिति में - जिससे निर्णय लेने में विलम्ब हो और/अथवा जनता को परेशानी हो - उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।

4. मंत्रालयों/विभागों से आचरण नियमों तथा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियमों के उपर्युक्त प्रावधान, मुख्यालय मंत्रालय/विभाग में तथा अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन संगठनों/कार्यालयों में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के ध्यान में यह स्पष्ट किए जाने की दृष्टि से ला देने का अनुरोध है कि उनके द्वारा देखे जा रहे विभिन्न प्रकार के मामलों के निबटान में, जान-बूझ कर विलम्ब के उत्तरदायी पाए जाने की स्थिति में - जिससे अंततः निर्णय लेने में विलम्ब हो – वे इस कार्यालय-ज्ञापन के पैरा 2 और 3 में संदर्भित संगत प्रावधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई के भागी होंगे ।

प्रतिभा मोहन

(श्रीमती प्रतिभा मोहन)
निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :

1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली ।
5. सभी संघ राज्य क्षेत्र/प्रशासन ।
6. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय ।
7. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग ।

प्रतिभा मोहन

(श्रीमती प्रतिभा मोहन)
निदेशक (ई.।।)